कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अतंराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का पांचवा आरोपी पीलूखेडी, राजगढ म.प्र. से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**74/25,** दिनांक **18.11.2025)**

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय के निर्देश पर वनमण्डल इंदौर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच-02-ई.पी.-4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वन्यजीव मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया। एसटीएसएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उक्त आरोपियों एवं इनके गिरोह के विरूद्ध कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये है। जिससे यह पुष्टि होती है कि प्रकरण में लिप्त गिरोह के द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण, चिंकारा एवं सांभर का भारी मात्रा मे शिकार प्रदेश के भीतर व अन्य राज्य में किया जाना पाया। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स इकाई इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र से वन्यजीवों का शिकार कर उनके मांस की अंतरराज्यीय स्तर पर संघटित रूप से तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण क्रमांक POR No. 237/22 दिनांक 21.08.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्रकरण में गिरफ्तार तीन आरोपियों से रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वन्यजीवों के शिकार में प्रयुक्त आग्नेयशास्त्र एवम कारतूस भारी मात्रा में जप्त किये गए थे।

प्रकरण में दिनाँक 14.11.2025 को एसटीएसएफ मुख्यालय व इकाई भोपाल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी आजाद सिंह सोलंकी पिता चतरसिंह सोलंकी निवासी ग्राम राघौखेडी जिला शाजापुर को भोपाल-ब्यावरा नेशनल हाइवे के पास इंडस्ट्रिलय एरिया पिलूखेडी, राजगढ बाबा होटल के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. जोहर हुसैन पिता इब्राहिम हुसैन, निवासी मित्तल नगर वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. इम्तियाज पिता शकील खान, निवासी मित्तल नगर, ओशिवारा वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
3. सलमान पिता हारून पियारजी निवासी मुनावर मोमिन नगर वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
4. सबाह पिता सलाहुद्दीन, निवासी मिल्लत नगर, जोगेस्वरी, मुम्बई (महाराष्ट्र)
5. आजाद सिंह सोलंकी पिता चतरसिंह सोलंकी निवासी ग्राम राघौखेडी जिला शाजापुर

आरोपी आजाद सिंह सोलंकी आजाद सिंह सोलंकी उर्फ चिन्टू बना को एसटीएसएफ विशेष न्यायालय, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया है। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी सलमान, आरोपी इम्तियाज व जोहर केन्द्रीय जेल इंदौर में विगत 11 माह से निरूद्ध है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल